भवानी सिंह बनाम तहसीलदार सोजत
राजस्व विविध प्रा०पत्र :- 103/2025

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः-- श्री गारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः- 103 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. भवानीसिंह पुत्र पर्वतसिंह जाति राजपुत निवासी चामडियाक तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः-

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

-: निर्णय :- दिनांक – 21/07/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चामडियाक, प0ह0 रामासनी बालां, भू–अ0नि0 क्षेत्र खारिया नींव तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की कृषि भूमि का विवरण इस प्रकार हैः–

सम्पति "ए" खाता सं0 204 पुराना खाता सं0 90 के ख0नं0 522 रकबा 1.7100 है0 इसी प्रकार सम्पति "बी" खाता सं0 196 पुराना खाता सं0 89 के ख0नं0 360, 364, 365, 367, 368, 371, 372, 374, 379, 380, 387, 388, 391, 392 कुल खसरा 14 कुल रकबा 8.1500 है0 इसी प्रकार सम्पति "सी" खाता सं0 205 पुराना खाता सं0 91 के ख0नं0 236, 240 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.4800 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भुमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम नाबालिग पिन्टुसिंह अंकित है, जबकि प्रार्थी के संपुर्ण दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में नाम भवानीसिंह अंकित हैं। वरवक्त म्यूटेशन इन्द्राज करते समय प्रार्थी की आयु नाबालिग थी, इसलिए उसके नाम के आगे नाबालिग अंकित किया गया है, जबकि वर्तमान में प्रार्थी बालिग हो चुका है, इसलिए नाबालिग हटाया जाना भी आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रार्थी का नाम भवानीसिंह के स्थान पर पिन्टुसिंह दर्ज हो जाने से प्रार्थी का कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थी का नाम पिन्टुसिंह के स्थान पर भवानीसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ए, बी, सी में प्रार्थी का नाम नाबालिग पिन्टुसिंह के स्थान पर भवानीसिंह के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये ज़ाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा चामडियाक में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 4 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 5 से 6 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
सोजत (पाली)

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1398 दिनांक 16.07.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार सरहद मौजा रामासनी बालां के ग्राम चामडियाक के खाता सं0 196, 205 कुल रकबा 8.1500 है0 व 2.4800 है0 कुल खसरे 14 व 2 नाबालिग पिन्टु सिंह पुत्र पर्वतसिंह संरक्षक माता मंजुकंवर जाति राजपुत के नाम खातेदारी दर्ज हैं। उक्त खसरों की मौके पर जांच करने पर पाया कि कब्जा काश्त भवानीसिंह पुत्र पर्वतसिंह द्वारा किया जा रहा है तथा उपस्थित मौत बिरानों व आस–पडौस से पूछताछ करने पर पाया कि पिन्टुसिंह पुत्र पर्वतसिंह व भवानीसिंह पुत्र पर्वतसिंह एक की व्यक्ति के भिन्न–भिन्न नाम हैं, की रिपोर्ट पेश की।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम नाबालिग पिन्टुसिंह के स्थान पर भवानीसिंह के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पिन्टुसिंह पुत्र पर्वतसिंह व भवानीसिंह पुत्र पर्वतसिंह एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न नाम होने की रिपोर्ट पेश की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 05/06/2025 के अंक 10, जिल्द सं0 77 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र में भवानीसिंह एवं पिन्टुसिंह दोनों ही नाम मेरे ही हैं। जिन दोनो नामों का एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूं। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 9923 9865 4002 इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र परबत सिंह दर्ज हैं। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम भवानीसिंह पुत्र परबत सिंह होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम नाबालिग पिन्टुसिंह पुत्र पर्वतसिंह संरक्षक माता मंजु कंवर के स्थान पर भवानीसिंह पुत्र पर्वतसिंह के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

–: **आदेश** :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पति "ए, बी, सी" में प्रार्थी का नाम नाबालिग पिन्टुसिंह पुत्र पर्वतसिंह संरक्षक माता मंजु कंवर के स्थान पर भवानीसिंह पुत्र पर्वतसिंह के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
सोजत (पाली)

पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
सोजत (पाली)